तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 14.02.2019**

1. यह अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 114/2001 में दिनांक 16–1–2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

2. अपील मीमों में अंकित प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1829 व 1830 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अहमद राय थे, जिनके स्वर्गवास के पश्चात विवादित आराजीयात उनके पुत्र अब्दुल हकीम, अब्दुल वहीद, शरीफ एवं अब्दुल शरीफ के नाम दर्ज की गई। उक्त आराजीयात का आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है, इसके बावजूद अब्दुल हकीम ने उपरोक्त वर्णित दोनों खसरा नंबरान की सम्पूर्ण आराजीयात का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान कर दिया, लेकिन क्रेता का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजीयात होने से ग्राम पंचायत, सोहेला ने जरिये नामान्तरकरण संख्या 172 अब्दुल हकीम के बजाय अपीलांट्स के नाम उक्त आराजीयात को तस्दीक कर दिया, जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष पेश करने पर उक्त अपील दिनांक 30–3–91 को स्वीकार कर रिमाण्ड कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 25–1–92 को आंशिक संशोधन स्वीकार करते हुए तहसीलदार, पीपलू को प्रतिप्रेषित कर दी गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 25–1–92 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 13–9–94 को निरस्त कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी गई एवं प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–92 की पालना में तहसीलदार, पीपलू के समक्ष पेश हुआ, जिनके द्वारा आदेश अन्तर्गत अपील दिनांक 11–5–2001 को कब्जा काश्त के अनुसार नामान्तरकरण भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी को निर्देश दिये गए। जिसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 114 / 2001 प्रस्तुत की गई जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–1–2002 स्वीकार की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। 3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। 4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि यह प्रकरण विवादास्पद नामान्तरकरण को लेकर था, इसलिए उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30–3–91 के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु इसे ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील पेश हुई, जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 25.1.92 को उक्त निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत के बजाय तहसीलदार को निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय को बहाल रख दिया एवं ग्राम पंचायत को विवादास्पद निर्णय पारित करने हेतु आदेश पारित कर दिया। किसी भी विवादास्पद नामान्तरकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होता है इसलिए आक्षेपित निर्णय दुरूस्त किये जाने योग्य है। दोनों पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में अधिकार व स्वत्व की प्राप्ति हेतु नियमित वाद पेण्डिंग है, जिसमें विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अस्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कदीम से कब्जा है तथा वे इसके सहखातेदार हैं। वैसे भी नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रख देना चाहिए था। इस भूमि का आज तक मीट्स	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एण्ड बाउण्ड्स से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। केवल मात्र अब्दुल हकीम को प्रश्नगत आराजीयात विक्रय करने का अकेले का अधिकार भी नहीं था वरन् श्री अहमद राय के समस्त वारिसान का मुस्लिम कानून के अनुसार विवादित आराजीयात में प्रत्येक इंच भूमि पर बतौर खातेदार कब्जा होना भी साबित है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्वत्व व कब्जा साबित नहीं होने से भी आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए। विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील है कि इस अपील को प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसका मुख्य कारण पत्रावली प्रतिप्रेषित होने के बाद नकल मिलने में हुई देरी ही है। इसलिए इस देरी को माफ किया जाये। 5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त दलीलों का विरोध किया तथा आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। 6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 7. आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–1–2002 को संभागीय आयुक्त, अजमेर ने पारित किया था तथा यह अपील दिनांक 20–8–2002 को प्रस्तुत हुई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में कुछ माह का विलम्ब हुआ है। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत दरख्वास्त का, जो कि शपथ पत्र से समर्थित है, कोई जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। यह देरी अत्यांतिक भी नहीं है और जान–बूझ कर भी की जाना प्रतीत नहीं होती है। विलम्ब के तकनीकी आधार के बजाए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित रहेगा। इसलिए देरी को माफ किया जाता है। 8. उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार पीपलू को इस निर्देश के साथ पूर्व में रिमाण्ड किया था कि वह दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय नये सिरे से पारित करे। किन्तु तहसीलदार,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीपलू ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्देश की पालना नहीं की तथा यह अंकित करते हुए निर्णय कर दिया कि पूर्व में पक्षकारों की सुनवाई की जा चुकी है। इसलिए मेरी विनम्र राय में विद्वान संभागीय आयुक्त, अजमेर ने प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करने में किसी प्रकार अवैधानिकता नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट ने आक्षेपित निर्णय को पढने में त्रुटि की है तथा यह समझ लिया कि विद्वान संभागीय आयुक्त, अजमेर ने प्रकरण तहसीलदार की बजाए ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। प्रकरण तो तहसीलदार को ही रिमाण्ड किया गया है। इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील काबिले खारिज है। 9. लिहाजा अपील खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	